न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

फौजदारी प्रकरण सख्या 06/2015

सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक प्रथम, अजमेर।

– प्रार्थी

बनाम

श्री अब्दूल रसीद पुत्र श्री मौहम्मद युसुफ जाति कुरेशी निवासी व्यापारी मौहल्ला, पीसांगन, पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर।

– गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थित– सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर।

–: आदेश :–

दिनांक : 30.05.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन द्वारा एक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक अजमेर के माध्यम से जरिये सहा. लोक अभियोजक अजमेर गैरसायल श्री अब्दूल रसीद पुत्र श्री मौहम्मद युसुफ जाति कुरेशी निवासी व्यापारी मौहल्ला, पीसांगन जिला अजमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 30.10.2015 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल बचपन से ही गलत लोगो की संगत में पड़ गया व आपराधिक प्रवृति के लोगो के साथ रहकर नशा करने की आदत पड़ गई। नशे की लत को पूर्ण करने के लिए गैरसायल जुआ खेलने व दादागिरी करने का आदि हो गया जिससे उक्त शक्स को काफी भय उत्पन्न हो गया, जिससे आम जनता शक्स मजकुर व भय के कारण इसके विरूद्ध गवाही एवं पुलिस में रिपोर्ट देने से कतराती है। गैरसालय के विरूद्ध 13 आरजीपीओ के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजा भी दी गई है। गैरसायल जुर्म करने का अभ्यस्त हो गया है। गैरसायल का आजाद रहना समाज के लिए संकटमय हो गया है। अतः परिवाद स्वीकार कर गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही की जावे। परिवाद पेश होने पर गैरसायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये

अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

सम्मन तलब किया गया। गैरसायल के विरूद्व सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुआ। पुलिस थाना पीसांगन की रिपोर्ट अनुसार उक्त व्यक्ति काफी समय से बीकानेर में अपने परिवार, बच्चों सहित निवास करने लग गया, जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पायी।

हमने पुलिस थाना पीसांगन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस थाना पीसांगन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैरसायल काफी समय से अजमेर जिले में निवास नहीं कर बीकानेर निवास कर रहा है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व प्रस्तुत इस्तागासे का अवलोकन करने पर एक ही प्रकृति के तीन प्रकरण यथा 13 आरपीजीओ का अपराध, साथ ही इस्तगासा दिनांक 30.10.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जिसे करीब 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पुलिस द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत करने के पश्चात् आज दिवस तक अभियुक्त की वर्तमान गतिविधि के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे अभियुक्त की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में उपधारणा किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट के आधार पर इस स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने के आधार प्रतीत नहीं होते है। अतः उक्तानुसार इस्तागासें की राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 की उपधारा 3 की परिधि में नहीं पाये जाने पर प्राप्त इस्तगासे को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

Scanned by CamScanner